

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की प्रथम आपात बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 21 जुलाई, 2012 को पूर्वान्ह 11-00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :-

- 1- छॉ0 दिनकर बुराठोकी
- 2- प्रो0 ओ0पी0 चौहान
- 3- प्रो0 श्रीराम शर्मा
- 4- डॉ0 बी0एल विन्टा
- 5- डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
- 6- प्रो0 सुरेश कुमार
- 7- चौ0 बरयाम सिंह बैन्स
- 8- डॉ0 धनी राम शर्मा
- 9- श्री एन0एस0 बिष्ट
- 10-डॉ0 के0पी0 ठाकुर
- 11-श्री सी0पी0 वर्मा

—कुलसचिव
सदस्य—सचिव

मद संख्या:1 : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2012 की प्रथम आपात बैठक में आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ ।

मैं सम्माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 43वां त्रिदिवसीय स्थापना समारोह गत वर्ष की भांति 22-24 जुलाई, 2012 तक मनाया जाएगा । समारोह का उद्घाटन 22 जुलाई, 2012 को विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह जी करेंगी । उद्घाटन समारोह सर्वधर्म प्रार्थना सभा से प्रारम्भ होगा । 24 जुलाई, 2012 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल स्थापना दिवस के समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे ।

स्थापना दिवस समारोह में विश्वविद्यालय अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का सम्मान करेगा । इस दौरान मोनोग्राफ, पुस्तकों एवं अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया जाएगा । विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से परिसर में आने वाले मार्ग का नामकरण **ज्ञान पथ** करने का भी प्रस्ताव है ।

22 जुलाई, 2012 को द्वितीय स्थापना दिवस व्याख्यान के लिए विख्यात पत्रकार, राज्यसभा सांसद एवं पॉयनियर के सम्पादक डॉ० चन्दन मित्रा आ रहे हैं । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव शर्मा

करेंगे । इसी दिन सायं पाँच बजे काव्य संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवियों के साथ शिमला के कवि भी रचना पाठ करेंगे ।

दिनांक 23 जुलाई, 2012 को समारोह के दूसरे दिन 'संस्कृत में ज्ञान विज्ञान' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी । इसी दिन शाम को ज्ञावणी संगीत संध्या का आयोजन होगा । दिनांक 24 जुलाई, 2012 समारोह के अन्तिम दिन एक गोलमेज सम्मेलन होगा जिसमें विख्यात पत्रकार डॉ० वेद प्रताप वैदिक समेत देश के जाने-माने विद्वान 'राजनीति से इतर' (Beyond Politics) विषय पर चर्चा करेंगे । समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रो० प्रेम कुमार धूमल होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज करेंगे ।

स्थापना दिवस के समापन समारोह के अवसर पर 24 जुलाई, 2012 को माननीय मुख्यमन्त्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के निम्नलिखित नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे ।

- 1— विश्वविद्या सूचना-प्रौद्योगिकी संस्थान (प्रथम एवं द्वितीय चरण)
- 2— पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (अकादमिक ब्लॉक)
- 3— बहु-संकाय भवन (प्रथम चरण)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मुख्य मार्ग का नामकरण 'ज्ञान पथ' भी इस अवसर पर किया जाएगा ।

मैं परिषद को बताना चाहता हूँ कि स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र (P.G. Centre) में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और नया शैक्षणिक सत्र 2012–2013 आरम्भ हो गया है ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु 43 लिपिकों के भरने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है ।

मैं परिषद के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों ने निम्नलिखित सेमिनार/कार्यक्रम आयोजित करवाये हैं :—

- ❖ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग व राष्ट्रीय परीक्षण सेवा—भारत (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित) भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा संयुक्त रूप से 'हिन्दी में प्रश्न लेखन' विषय पर दिनांक 3 जुलाई 2012 से चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई ।
- ❖ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डॉ० भीम राव अम्बेडकर पीठ द्वारा दिनांक 11–12 जुलाई, 2012 को 'भीम राव अम्बेडकर की भारतीय समाज व चिन्तन को देन' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।
- ❖ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अध्ययन संस्थान (पर्यटन) IVS द्वारा 19 जुलाई, 2012 को 'हिमाचल व त्रिनिदाद (West Indies) में संस्कृति एवं पर्यटन' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश शासन द्वारा घोषित सचिवालय वेतन का लाभ विश्वविद्यालय के पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया गया है।

अब मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या:2: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष समर हिल चौक से विश्वविद्यालय संकाय गृह तक जाने वाले मार्ग का नाम **ज्ञान पथ** रखने बारे मामला अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने समर हिल चौक से विश्वविद्यालय संकाय गृह तक जाने वाले मार्ग का नाम **ज्ञान पथ** रखने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या:3: वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनकी संख्या-22 है और पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं को निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे में छूट देकर तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों के विरुद्ध पदोन्नत करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे में ढील देते हुए तदर्थ आधार पर पदोन्नति हेतु पूर्व की भांति सशर्त अनुमोदन किया कि इन्हें एक वर्ष के भीतर नियमानुसार टंकण परीक्षा निर्धारित गति के साथ उत्तीर्ण करनी होगी और इन्हें भविष्य में 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के रिक्त होने वाले पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

मद संख्या:4: To consider the case of Mr. Ashwani Kumar Sahu for direct registration to Ph.D programme in Biotechnology under the old rules (based on two research publication).

.....

कार्यकारिणी परिषद ने अनुसंधान उपाधि समिति (Research Degree Committee) की सिफारिशों के आधार श्री आश्वनी कुमार साहू को वॉयोटेक्नोलॉजी में पी0एच0डी0 के लिए सीधे पंजीकरण हेतु अनुमोदित किया।

मद संख्या:5: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला में लोक प्रशासन विभाग में सृजित प्रवक्ता/सहायक आचार्य के एक पद को बुद्धिस्ट स्टडीज में परिवर्तन करने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला में लोक प्रशासन विभाग में सृजित सहायक आचार्य के एक पद को बुद्धिस्ट स्टडीज में परिवर्तन करने के मामले पर विस्तार से चर्चा की, और कहा कि क्योंकि क्षेत्रीय केन्द्र के लोक प्रशासन विभाग में अभी तक किसी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है अतः लोक प्रशासन विभाग में सृजित एक पद को बुद्धिस्ट स्टडीज में परिवर्तित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:6: कार्यकारिणी परिषद के मद संख्या 18 दिनांक 17-5-2012 के विषय में स्पष्टीकरण लेने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने मद संख्या-18 दिनांक 17-5-2012 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय को स्पष्ट करते हुए यह कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने 10 जुलाई, 2009 तक या इससे पूर्व एम.फिल, की उपाधि प्राप्त की है/पंजीकृत हुए हैं को सहायक आचार्य के पद हेतु नेट/सेट से छूट होगी । इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों ने 31 दिसम्बर 2009 तक या इससे पूर्व पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की है तथा जिन्होंने 10 जुलाई 2009 तक या इससे पूर्व पी.एच.डी. के लिए पंजीकरण करवा लिया है को भी सहायक आचार्य के पद हेतु नेट/सेट से छूट होगी और यह छूट उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों से लागू होगी ।

परिषद के माननीय सदस्य डॉ० बी०एल० विन्टा ने कहा कि जो अभ्यर्थी एम०फिल या पी०एच०डी० के शोध-प्रबंध जमा करवा देते हैं उनका मूल्यांकन समय पर न हो पाने के कारण अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अतः यह सुझाव दिया कि शोध-प्रबंध का मूल्यांकन समयबद्ध तरीके से हो । इस पर परिषद ने मामले का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :-

1- प्रो० सुरेश कुमार

2- श्री एन०एस० बिष्ट

मद संख्या:7: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष सूचना तकनीकी पर आधारित प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों/फर्मों से परीक्षा प्रबंधन की रूपरेखा, कार्यान्वयन, रख-रखाव और स्वचालित करने व राष्ट्रीय स्तर पर नीलामी निविदा आमंत्रित करने के लिए मामला अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने सूचना तकनीकी पर आधारित प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों/फर्मों से परीक्षा प्रबंधन की रूपरेखा, कार्यान्वयन, रख-रखाव और स्वचालित करने हेतु **संलग्नक** के अनुरूप अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या:8: To place before the Executive Council the request of Miss Chander Prabha Rattan student of Dhanwantri Ayurvedic College, Sector 46-B Chandigarh for obtaining NOC for seeking admission in the First Prop in Govt. Ayurvedic College, Paprola (Himachal Pradesh).

....

कार्यकारिणी परिषद ने सुश्री चन्द्रप्रभा रत्न के आवेदन पर विचार करने के उपरान्त नियमों में ढील देते हुए यह निर्णय लिया कि इस विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि सुश्री चन्द्रप्रभा रत्न जो धन्वन्तरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, चण्डीगढ़ में बी०ए०एम०एस० प्रथम सत्र की छात्रा है को वहां से स्थानान्तरण कर राजकीय महाविद्यालय पपरोला में विशेष प्रकरण के रूप में सशर्त प्रवेश दिया जाता है कि यदि यह अभ्यार्थी अन्य अनिवार्य योग्यताओं/औपचारिकताओं को पूर्ण करती है तथा वहां खाली सीट उपलब्ध है ।

अन्य मर्दे :-

श्री एन.एस. बिष्ट

माननीय सदस्य श्री एन०एस० बिष्ट ने कहा कि एम०सी०ए० विभाग में पार्श्व प्रवेश प्रबंधन (Lateral Entry System) प्रस्तावित किया जाए । इस पर कुलपति महोदय ने कहा कि पार्श्व प्रवेश प्रबंधन के अन्तर्ग प्रवेश हेतु सम्बन्धित संकाय से

प्रस्ताव आने पर इस पर विचार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों को शीघ्रतिशीघ्र भरा जाए ताकि विश्वविद्यालय का काम सुचारु रूप से चल सके जिसका कि माननीय सदस्य चौ० बरयाम सिंह बैन्स ने भी समर्थन किया । इस पर कुलपति महोदय ने परिषद को अवगत करवाया कि लिपिकों के 43 पदों को भरने के लिए विज्ञापित किया जा चुका है और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है ।

डॉ० बी०एल० विन्टा

माननीय सदस्य डॉ० बी० एल० विन्टा ने कहा कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पी०एच०डी० मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान किये जाने बारे जो पत्र विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को जारी किया गया है उसमें कई बातें स्पष्ट नहीं है । इस पर परिषद ने यह निर्णय लिया गया कि यदि महाविद्यालयों के शिक्षक पी०एच०डी० मार्गदर्शक बनने की शर्तों जैसे कि प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय की पर्याप्त सुविधा आदि का होना और अन्य योग्यताओं को पूर्ण करते हैं तो उन्हें पी०एच०डी० हेतु मार्गदर्शक बनाया जा सकता है । अतः कार्यकारिणी परिषद के निर्णय के अनुसार अध्यादेश 16.4 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव लाया जाए ।

इसके अतिरिक्त डॉ० विन्टा ने अध्यापक कल्याण निधि से चण्डीगढ़ या इसके आसपास विश्राम गृह के निर्माण मामला परिषद के समक्ष उठाया । जिस पर परिषद ने कहा कि इस मामले में पहले ही एक समिति का गठन किया गया है तथा इसकी रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

चौ० बरयाम सिंह बैन्स

माननीय सदस्य चौ० बरयाम सिंह बैन्स ने कार्यकारिणी परिषद का ध्यान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35-ए की ओर दिलाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इसे हटा दिया है लेकिन कुछ मामले हमारी कार्यकारिणी परिषद ने अनुमोदित करके प्रदेश सरकार को भेज रखे थे अब जबकि धारा 35-ए हट चुकी है फिर भी

परिषद द्वारा अनुमोदित मामलों पर आगामी कार्यवाही नहीं हो पाई जिनमें कि सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव, अनुभाग अधिकारी से सहायक कुलसचिव, अधीक्षक से अनुभाग अधिकारी तथा अधीक्षक (संवर्ग) से अधीक्षक ग्रेड-।। की कमोन्नति शामिल है । इस पर माननीय कुलपति ने कहा कि इन सब मामलों का परीक्षण कर इन्हें वित्त समिति/कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखा जाएगा ।

डॉ० के०पी० ठाकुर

माननीय सदस्य डॉ० के०पी० ठाकुर ने कहा कि यू०आई०आई०टी० में विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के आश्रितों/बच्चों को प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जाए । डॉ० ठाकुर के इस सुझाव का माननीय सदस्य

प्रो० सुरेश कुमार, श्री एन०एस० बिष्ट तथा चौ० बरयाम सिंह बैन्स ने भी पूरा समर्थन किया । इस पर मामले का परीक्षण करने हेतु परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की:—

प्रो० सुरेश कुमार
डॉ० के०पी० ठाकुर
श्री एन०एस० बिष्ट

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी०पी० वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य-सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता०/—
(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
कुलपति/सभापति